

न्यायालय उप तहसीलदार तहसील सिधौवा जिला सुदूरपश्चिम

| गुण्डा नं० | किस्म गुण्डा | रकब दिनांक | निर्णय दिनांक |
|------------|--------------|------------|---------------|
| 46/19 | घास 91 | 18.7.19 | 06.08.19 |

उत्तमान सरकार वनाग मुलचन्द, केल्लाश पुत्र गंगासम, राजेन्द्र पुत्र रामेश्वर, ओमप्रकाश पुत्र अमराव नाति गुर्जर वि० कुडाविसा तहसील सुदौवा जिला सुदूरपश्चिम

निर्णय

पत्रावली आन पेश हुयी। अधिकणी अनुपरिचय। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पटवारी ने सन्वत् 2076 में इस आशय की रिपोर्ट परतुत की है कि आग कुडाविसा की सन्वसीय भूमि गे०गु० नाला स०न० 234 रकबा 0.50 किस्म गे०गु० नाला में से 0.12 हे० भूमि पर अधिकणी मुलचन्द, केल्लाश पुत्र गंगासम, राजेन्द्र पुत्र रामेश्वर, ओमप्रकाश पुत्र अमराव नाति गुर्जर वि० कुडाविसा तहसील सुदौवा ने अवैध रूप से वाजस काश्त कर अनाधिकृत अधिकरण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्क से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधिकणी को सन्वस्यान गु० सन्वस्य अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अधिकणी अनुपरिचय हुआ।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सपुत कम गहनता से गहन किया गया। अधिकणी द्वारा किया गया अधिकणी को काचिन निरगमन जारी है। ना ही निरगमों के अनुसूच्य है। अतः उपर अधिकणी को सन्वस्यान गु० सन्वस्य अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अधिकणी घोषित किया जाता है। व नैर तहस रिपोर्ट पटवारी पर से वेदसाल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

अधिकणी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये वाजस की फसल कर के दण्ड स्वरुप अधिकरण शुदा भूमि के लगान 0.83 की 50 गुणा गुर्माजा सशि 42/- रु पत्तीर शारित कासम किये जाते हैं।

तहसील सन्वस्य लेखाकर/गु०अ०नि०/पटवारी हल्क को तारते जमा कासमी, वेदसाली/ वसुली/ कर सशि सन कोष में जमा करवाने हेतु लिखा जावे। गु० अ०नि० को सन्वसीय भूमि से अधिकणीत भूमि से तारताधिक रूप से वेदसाल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली वाद तकणील तागिल दारिवाल दफ्तर से तथा नम्बर से कम होकर दर्ज फेराला हो।

आज दिनांक 06.08.19 को सुले न्यायालय सुनाया गया।



नासम तहसीलदार

सुदूरपश्चिम प्रदेश सुदूरपश्चिम
 तहसील सुदौवा
 न्यायालय
 42

१. ००००